न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 120 / 2019

निर्णय दिनांकः– 05.03.2021

उनवान

रामकिशन पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी अमीरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री रामकिशन सैनी वकील प्रार्थी

2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी की पुश्तेनी व संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 10 ख0न0 102,107,119,120,124,133,134,135,136,14,157,157 / 172,160,17,57, व 9 / 173 कुल किता 16 कुल रकबा 5.83 है0 तथा खाता संख्या 11 ख0नं0 145,147,28 व 9 कुल किता 4 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम अमीरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

यह कि प्रार्थी के वादग्रस्त आराजीयत खाता संख्या 10 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामनारायण है जो सही एवं वास्तविक है परन्तु खाता संख्या 11 में प्रार्थी का नाम सहवन रामनिवास पुत्र रामनारायण अंकित हो गया है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रामकिशन पुत्र रामनारायण है जो कि जमाबन्दी खाता संख्या 10 ग्राम अमीरगंज सम्वत 2070 – 2073 से प्रमाणित है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड फोटो पहचान पत्र की प्रति , राशन कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र इत्यादि में अंकित है। जिसमें प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामनारायण अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से रामकिशन पुत्र रामनारायण के स्थान पर रामनिवास पुत्र रामनारायण अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम रामकिशन पुत्र रामनारायण है ।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 11 में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामनारायण के स्थान पर सहवन से रामनिवास पुत्र रामनारायण दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी की पुश्तेनी व संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 11 ख0नं0 145,147,28 व 9 कुल किता 4 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम अमीरगंज तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम रामनिवास पुत्र रामनारायण के स्थान पर रामकिशन पुत्र रामनारायण अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

s.136.109

उपखण्ड अधिकारी

उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम अमीरगंज के खाता संख्या 10 ख0न0 102, 107, 119, 120, 124, 133, 134,135, 136,14, 157,157/172, 160,17,57, व 9/173 कुल किता 16 कुल रकबा 5.83 है0 वाके ग्राम अमीरगंज सम्वत 2070– 2073 में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामनारायण जाति माली दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जॉच से रामकिशन पुत्र रामनारायण व रामनिवास पुत्र रामनारायण एक ही व्यक्ति है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 11 ख0नं0 145,147,28 व 9 कुल किता 4 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम अमीरगंज तहसील उनियारा में प्रार्थी का नाम रामनिवास पुत्र रामनारायण जाति माली साकिन अमीरगंज खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामनारायण व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र रामनारायण दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम अमीरगंज के खाता सं0 11 में प्रार्थी का नाम रामनिवास पुत्र रामनारायण के स्थान पर रामकिशन पुत्र रामनारायण किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त खातेदारी के **खाता संख्या 11 ख0नं0 145,147,28 व 9 कुल किता 4 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम अमीरगंज** तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज रामनिवास पुत्र रामनारायण के स्थान पर **रामकिशन पुत्र रामनारायण दर्ज कर** राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

s.136.110